न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 71 / 2025
जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2025 / 133

1. प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र भवानी शंकर उम्र वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बिन्दायकपुरी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. लीला देवी पत्नि मूलचंद सैनी उम्र वर्ष जाति माली निवासीमी सैनी नगर, जयपुर रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर।

वादीगण,

बनाम

1. उच्छव कंवर पुत्री उमराव सिंह।
2. कमला कंवर पुत्री उमराव सिंह।
3. दया कंवर पुत्री उमराव सिंह।
4. पुष्पा कंवर पुत्री उमराव सिह।
   समस्त जाति राजपूत नि0 बिन्दायकपुरी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
5. झूमर पत्नि दुलाराम जाति बलाई नि0 नांगल तहसील दांतारामगढ़, सीकर।
6. नोपाराम पुत्र दूलाराम जाति बलाई नि0 नांगल तहसील दांतारामगढ़ सीकर।
7. परसाराम पुत्र छोटूराम जाति बलाई नि0 नांगल तहसील दांतारामगढ़, सीकर।
8. भवानी सिह दोहित्रा उमराव सिंह।
9. राजू सिंह रोहित्रा बचन सिंह।
   समस्त जाति राजपूत नि0 बिन्दायकपुरी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रानोली जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र सिह शेखावत,वकील वादीगण की ओर से।
2. ,, सागरमल मीणा वकील प्रति0सं0 5 से 7 की ओर से।
3. ,, ओमप्रकाश लाम्बा,वकील प्रति0सं0 12 की ओर से।

दावा बावत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

निर्णय दिनांक :: 14.08.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 718 रकबा 1.5000 है0 ख0नं0 719 रकबा 1.5700 है0 ख0नं0 720 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 721 रकबा 3.000 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.1200 है0 वाके ग्राम बिन्दायकपुरी प0ह0 लढाणा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमियां वादीगण

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 की संयुक्त कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिसमें वादी सं0 1 का हिस्सा हक हिस्सा 1579/3600, वादिया सं0 2 का 121/3600 हक हिस्सा तथा शेष हक, हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार प्रति0सं0 1 ता 9 का है तथा वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 9 इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर अंदाज से काश्त करते चले आ रहे है। वर्णित भूमियों का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकार अपने-अपने हक हिस्से के अनुसार कभी अंदाज से तथा कभी-कभी अलग काश्त करते चले आ रहे है। विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली अनेक सहायताओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। वादीगण प्रति0सं0 1 ता 9 को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हक हिस्सों के अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने के लिए कहते रहे है। किन्तु प्रति0सं0 1 ता 9 द्वारा वादीगण की बात को महत्व न दिया जाकर टालमटोल कर समय निकाला जाता रहा है। वादीगण द्वारा दिनांक 5.4.2025 को प्रति0सं0 1 ता 9 को ज्यादा जोर देकर विधिवत बंटवारा करवाकर अलग-अलग खाता व अलग लगान निर्धारित करवाने के लिए कहने पर समस्त प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने से इंकार हो गये। इस कारण वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष बंटवारे का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क,ख, ग, घ, अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 से 11 व 13 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रति0सं0 12 जरिये वकील उपस्थित आए। वकील वादीगण के निवेदन पर दिनांक 18.06.25 को बहस सुनी जाकर पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/25/4051दिनांक 16.07.2025 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील प्रार्थीगण परसाराम द्वारा आवेदन पत्र आवेदन अं0 आदेश 9 नियम 7 सीपीसी बावत आदेश दिनांक 18.06.2025 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने बावत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 718, 719, 720, 721 कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 है0 ग्राम विनायकपुरी प0ह0 लढाणा तह0 दांतारामगढ़ में अवस्थित है, जिसमें अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने मान0 न्यायालय में बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 का वाद पेश किया है, जिसमें वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

वादीगण ने न्यायालय द्वारा जारी नोटिसों को प्रार्थीगण के पास नहीं पहुंचने दिया और प्रार्थीगण की दिनांक 18.06.2025 को एकपक्षीय आदेश करवा दिया गया है व उक्त पत्रावली में पी0डी0 आदेश जारी करवा लिये गये है, जिसमें तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा नोटिस जारी करने पर प0ह0 लढाणा व गिरदावर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के लिए जाने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि वादीगण ने बाला–बाला ही माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर अपनी मर्जी के मुताबिक बंटवारा करवाना चाह रहा है, जिससे प्रार्थी न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ता से नकल निकलवाने पर उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 18.06.25 की जानकारी हुई है। प्रार्थीगण को जानकारी होते ही अविलम्ब उक्त आवेदन न्यायालय के समक्ष किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने आवेदन पेश कर इसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 18.06.25 को अपास्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 18.06.25 को हमारे विरूद्ध एक्स पार्टी कर दी गई। प्रकरण में प्रोपर तामील नहीं होने की वजह से हम हाजिर नहीं हो पाये। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट बनने पर हमें इसकी जानकारी हुई, मौके पर पटवारी, गिरदावर पहुंचे तो हमें पता चला की भूमियों का बंटवारा करवा रहे है। न्यायहित में हमारा आवेदन स्वीकार किया जायेगा तो हम हमारा पक्ष रख सकेंगे।

अप्रार्थी/वादी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा दिनांक 24.4.25 को दावा पेश किया गया था। दिनांक 14.5.25 को इनकी तामील हुई है। हमने ट्रेस रिपोर्ट भी पेश की है। प्राथमिक डिक्री में प्रतिवादी पक्ष के कुछ लोगों ने सहमति दे दी। दिनांक 01.07.25 को तहसीलदार, दांतारामगढ ने नोटिस जारी किये, उस पर आवेदककर्ता के हस्ताक्षर है। इनके प्राथमिक प्रस्ताव पर भी इनके हस्ताक्षर किये हुये है। प्रतिवादी मौके पर मौजूद रहे है। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री के विभाजन के प्रस्ताव बनकर आ गये है। जो पी0डी0 बनकर आई है। वह लोग उपस्थित थे। एफ0डी0 जारी करने का निवेदन किया गया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण को वाद के बाबत सूचना थी। उनके बंटवारे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। तहसीलदार, द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के दौरान प्रार्थीगण मौके पर स्वंय उपस्थित थे । तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा नोटिस जारी करने पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

पर प्रार्थीगण/प्रति0सं0 6 व 7 हाजिर थे। प्रति0सं0 5 नोपाराम की माता जी है। इस प्रकार सूचना सभी को थी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं0 आदेश 9 नियम 7 सीपीसी बाबत आदेश दिनांक 18.06.2025 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने बाबत स्वीकार करना न्यायालय उचित नहीं समझता है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अं0 आदेश 9 नियम 7 सीपीसी खारिज किया जाकर वाद वादी मुताबिक तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्र कमांक भू0अ0/25/4051 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिकी किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 718 रकबा 1.5000 है0 ख0नं0 719 रकबा 1.5700 है0 ख0नं0 720 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 721 रकबा 3.000 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.1200 है0 वाके ग्राम बिन्दायकपुरी प0ह0 लढाणा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:–

क. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	1. प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र भवानी शंकर हि0 26773/28800 जाति ब्राहम्ण सा0 सीकर राहिन एचडीएफसी सीकर 2. लाली देवी पत्नि मूलचंद सैनी हि0 2027/28800 जाति सैनी नगर जयपुर खातेदार	721/3	2.88	बा0 2	8.64
		01	2.88	बा0 2	8.64
2.	जमाबंदी अनुसार	721/01	0.02	बा0 2	0.03
		01	0.02	बा0 2	0.03
3.	1. उच्छव कंवर पुत्री उमराव सिंह हि0 1/95 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 2. कमला कंवर पुत्री उमराव सिंह हि0 1/95 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 3. दया कंवर पुत्री उमराव सिंह हि0 1/95 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 4. पुष्पा कंवर पुत्री उमराव सिंह हि0 1/95 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 5. भवानी सिंह दोहित्रा उमराव सिह हि0 1/190 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 6. राज सिंह दोहित्रा बच्चन सिह हि0 1/190 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 7. झुमर पत्नि दूलाराम हि0 9/38 जाति बलाई सा0 नांगल खातेदार राहिन पीएनबी रानोली। 8. नोपाराम पुत्र दूलाराम हि0 9/28 जाति बलाई सा0 नांगल खातेदार राहिन पीएनबी रानोली।	718 719 720 721/2	1.50 1.57 0.05 0.10	बा0 2 बा0 2 बा0 2 बा0 2	6.00 6.28 0.20 0.40

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

	9. परसाराम पुत्र छोटूराम हि0 9/19 जाति बलाई सा0 नांगल खातेदार राहिन बड़ौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना				
		किता 4	3.22	—	—

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/25/4051 दिनांक 16.07.2025 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर